29-8-24 | पत्रावली पेश हुई वकील अपीलान्ट उपस्थित प्रकरण मे कार्य व्यस्तता अधिक होने से आदेश नही लिखा जा सका है। बहस सुने हुए एक माह से अधिक समय होने से प्रकरण मे माजिद बहस पुन: सुनी गई अपील अपीलान्ट की सिद्ध नही होने से खारीज कि जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चितौडगढ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

अपील पत्र संख्या ::– 5/2021

1. प्रतापसिंह पिता राजसिंह जाति राजपूत निवासी देवरिया तह0 बेगूँ
2. कल्याणसिंह पिता राजसिंह जाति राजपूत निवासी देवरिया तह0 बेगूँ
3. धनसिंह पिता गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी देवरिया तह0 बेगूँ

अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री भूरसिंह पिता जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी देवरिया तह0 बेगूँ
2. छोटूसिंह पिता जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी देवरिया तह0बेगूँ
3. भँवरकंवर पत्नी जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी देवरिया तह0बेगूँ
4. जैवनसिंह माता गूड्डीकंवर राजपूत नाबालिग जरिये संरक्षक पिता गोविन्दसिंह जी राजपूत निवासी राजपुरा पोस्ट डाबी जिला बून्दी राजस्थान
5. जियाकंवर माता गूड्डीकंवर राजपूत नाबालिग जरिये संरक्षक पिता गोविन्दसिंह जी राजपूत निवासी राजपुरा पोस्ट डाबी जिला बून्दी राजस्थान
6. श्रीमान तहसीलदार साहब भूमिधारी जी तहसील कार्यालय बेगूँ

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित ::– श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता अपीलान्ट्स

आदेश दिनांक ::– 29.08.2024

आदेश नामान्तरण संख्या 129 प्रथम ग्राम देवरिया ग्राम पंचायत शादी द्वारा निर्णित , निर्णय दिनांक 21.01.2019

ग्राम देवरियां पटवार हल्का शादी तहसील बेगूँ के नामांन्तरण संख्या 129 प्रथम निर्णय दिनांक 21.01.2019 पर ग्राम पंचायत शादी द्वारा मृतक खातेदार नाराणसिंह पिता राजसिंह राजपूत की विरासत के आधपार पर दिये गये निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट्स की ओर से अपील निम्नलिखित आधार ब्रिनदुओं पर प्रस्तुत है।

यह कि ग्राम देवरियां पटवार हल्का शादी के मृतक खातेदार नाराण सिंह पिता राजसिंह की मृत्यु हो जाने पर विरासत का नामान्तरण संख्या 129 प्रथम हल्का पटवारी ने विरासत के आधार पर बिना किसी पूर्ण जॉच पडताल के प्रस्तावित किया। नाराणसिंह पिता राजसिंह की करीबन 40 वर्ष पूर्व ही कुंआरे ला औलाद मृत्यु हो चुकी थी। जबकि हल्का पटवारी ने बिना पूर्ण जांच पडताल किये नाराण सिंह एवं जगदीशसिंह को एक ही व्यक्ति मान कर जगदीश सिंह के वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के पक्ष में नामान्तरण कर दिया। भू–अभिलेख निरीक्षक ने भी इस पर विधिक टिप्पणी नहीं की एवं मात्र खाना पूर्ति कर दी व ग्राम पंचायत ने भी बिना पूर्ण जॉच पडताल कियेक ही नाराणसिंह एवं जगदीशसिंह को एक ही व्यक्ति मानकर नामान्तरण स्वीकृत कर दिया जो विधि प्रावधानो के विपरीत निर्णय निरस्त होने योग्य है।

यह कि राजसिंह जी पिता भवानीसिंह जी के 7 पुत्र गुलाबसिंह, प्रतापसिह, नरवरसिंह, कल्याणसिंह, नारायणसिंह, जगदीशसिंह, प्रहलादसिंह हुए जिनमें से नाराणसिंह एवं नवरसिंह कम उम्र में ही कुंआरे फोत हो चुके है। जगदीश सिंह ने अपने आप को नाराणसिंह मान लिया एवं उसके वारिसान रेस्पोडेन्ट अपने पक्ष में कराने का प्रार्थना पत्र दिया जिस पर हल्का पटवारी ने बिना पूर्ण जॉच पडताप किये ही नामान्तरण प्रस्तावित कर दिया एवं ग्राम पंचायत ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है।

यह कि नाराणसिंह की मृत्यु के समय उसके जीवित भाई कल्याणसिंह , प्रतापसिह, जगदीशसिंह एवं पहलादसिंह उसके सगे भाई होने से द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारी बने जिनके नाम नार्मान्तरण होना चाहिए जो नहीं कर रेस्पोडेन्ट ने भूमि अकेले हडपने की नियत से हल्का पटवारी जी से मिल कर गलत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर अपने पक्ष में नामान्तरण संख्या 129 प्रथम स्वीकृत करा लिया जिससे नामान्तरण संख्या 129 प्रथम जो नाराणसिंह की विरासत का है पर पारित निर्णय विधि विरूद्ध होकर निरस्त योग्य है।

यह कि नामान्तरण संख्या 129 द्वितीय जगदीशसिंह का नामान्तरण है यदि दोनो एक ही व्यक्ति होते तो राजस्व रेकार्ड में खाते पृथक पृथक क्यो थे इस बात पर विचार किये बिना ही ग्राम पंचायत ने अवैध निर्णय पारित करने में भूल की है जिससे नामान्तरण निर्णय निरस्त योग्य है।

यह कि दिनिंक 04.08.2021 को अपीलान्ट ने उक्त नामान्तरण की प्रति हेतु आवेदन किया एवं प्रति प्राप्त हुई जिससे हल्का पटवारी द्वारा विरासत नामान्तरण गलत प्रस्तावित करने एवं ग्राम पंचायत द्वारा गलत आधार पर ही नामान्तरण निर्णित करने मे भूल की है जिससे उक्त नामान्तरण निर्णय निरस्त यिका जाकर सही वारिसान के नाम पर नामान्तरण नये सिरे से किये जाने की प्रार्थना के साथ यह अपील नामान्तरण न्यायालय श्रीमन में प्रस्तुत हैं। नामान्तरण सुनवाई का अधिकार न्यायालय श्रीमन को प्राप्त होने से अपील नामान्तरण न्यायालय श्रीमान मे प्रस्तुत है।

यह कि नामान्तरण संख्या 129 प्रथम ग्राम देवरियां पटवार हल्का शादी का निर्णय दिनांक 21.01.2021 के होकर इस निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 04.08.2021 को नामान्तरण की नकल प्राप्त करने से हुई है, एवं नकल प्राप्त होते ही नामान्तरण अपील बिना किसी देरी के प्रस्तुत की जा रही है जो जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि प्रस्तुत है साथ ही उक्त नामान्तरण निर्णय अवैध एवं निष्प्रभावी निर्णय की परिभाषा में आने से अवैध नामान्तरण को निरस्त किये जाने की कोई अवधि नहीं होना न्यायिक दृष्टांतो में वर्णित है। फिर भी कानूनी पैचदगी से बचने के लिए दिनांक 21.01.2019 से दिनांक 04.08.2021 तक की अवधि को कंडोन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि मोजा देवरिया पटवार हल्का शादी तहसील बेगूँ के नामान्तरण संख्या 129 प्रथम पर नाराणसिंह की मृत्यु हो जाने से दिये गये अवैध एवं विधि विपरित विरासत के निर्णय को निरस्त फरमा, सभी सही विधिक वारिसान के नाम नामान्तरण किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अपील पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया, सभी रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना के न्यायालय मे उपस्थित नहीं आने पर न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट्स के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया गया। पत्रावली में अपील पत्र पर बहस अधिवक्ता अपीलान्ट्स की सुनी गई, अधिवकता अपीलान्ट ने अपनी बहस अपील पत्र के अनुसार ही करते हुए निवेदन किया है, राजसिंह के 7 पुत्र थे जिनमें नपाराणसिंह व नरपतसिंह लाऔलाद फोत हो गये। जबकि नामान्तरण संख्या 129 जो कि नाराणसिंह के फोत होने से उनकी विरासत के लिए खोला गया है उसमें नाराणसिंह उर्फ जगदीशसिंह यानि जगदीश सिंह को नाराण सिंह एक ही व्यक्ति मानते हुए जगदीशसिंह के वारिसान के नाम पर यह नामान्तरण खोला गया है जो विधिविरूद्ध को निरस्त किये जाने योग्य है क्यो कि राजसिंह के 7 पुत्र थे नाराणसिंह लाऔलाद फोत हुआ है तथा उनके भाई सभी द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारी है इसलिए सभी के पक्ष मे बराबर से नामान्तरण खोला जाना चाहिए था। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्टस की स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 129 को निरस्त फरमाया जावे व मृतक नाराणसिंह के भाईयो अपीलान्ट्स जो कि द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी के नाम पर भी नामान्तरण खोला जावें उन्हें भी नाराणसिंह के हिस्से में बराबर से नाम अंकित किया जावें।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस को ध्यानूपर्वक सुना तथा अपील पत्र का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, नामान्तरण संख्या 129 निर्णित द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत शादी द्वारा निर्णित दिनांक 21.01.2019 का अवलोकन भी हमारे द्वारा किया गया। खोला गया नामान्तरण संख्या 129 जो कि नाराणसिंह के फोत होने पर उनके वारिसान के नाम पर खोला जाकर स्वीकृत किया गया है, पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि नाराणसिंह उर्फ जगदीशसिंह फोत हो चुका है। अतः सजरा अनुसार नामान्तरण दायर कर पेश है। नामान्तरण पर जो सजरा बनाया गया है उसमें नारायणसिंह के पुत्र भंवरसिंह छोटुसिंह व पुत्री गड्डी के पुत्र जीवनसिंह व पुत्री जियाकंवर व नाराणसिंह की पत्नी भंवरकंवर का नाम अंकित करते हुए इनके नाम पर ही नामान्तरण दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया गया है, इस अपील पत्र में भूमिधारी तहसीलदार बेगूँ को पक्षकार बनाया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत शादी को पक्षकार नहीं बनाया गया है,जिनसे हम मृतक नाराणसिंह या जगदीशसिंह के परिवार के सम्बन्ध मे पूर्ण जानकारी ले सकते थे।

अपीलान्ट द्वारा यह जानकारी दी है कि राजसिंह पिता भवानीसिंह जी के 7 पुत्र गुलाबसिंह प्रतापसिंह नरवरसिंह कल्याणसिंह, नारायणसिंह, जगदीशसिंह व प्रहलादसिंह थे, जिनमें से नारायणसिंह व नरवरसिंह कम उम्र में ही कुंआरे फोत हो चुके है, राजसिंह के परिवार की जानकारी हेतु अपीलान्ट को परिवार का राशनकार्ड या अन्य कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए था जो यह सिद्ध कर सके कि राजसिंह जी के 7 पुत्र थे। साथ ही नाराणसिंह जब कुंआरे ही कम उम्र में फोत हुए तो यह नामान्तरण वर्ष 2019 में ही क्यो खोला जाकर स्वीकृत किया गया, अपीलान्ट्स एवं रेस्पो. सभी ग्राम देवरिया प0ह0 शादी के रहने वाले है तो नाराणसिंह के फोत होने से नाराणसिंह की कृषि आराजी के लिए अपीलान्ट द्वारा सभी के नाम नामान्तरण खोले जाने हेतु कार्यवाही क्यो नहीं की है। नारायणसिंह के मृत्यु होने का मृत्यु प्रमाण पत्र भी इस अपील पत्र मे प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अपीलान्ट द्वारा इस पत्रावली में यह सिद्ध कराने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है कि नाराणसिंह व जगदीशसिंह दोनो ही अलग अलग व्यक्ति है जो कि राजसिंह जी के पुत्र है, यदि नाराणसिंह उर्फ जगदीशसिंह एक ही व्यक्ति होकर नाराणसिंह फोत होने पर यदि उनके वारिसान के नाम पर यह नामान्तरण संख्या 129 खोला जाकर सरपंच ग्राम पंचायत शादी द्वारा प्रमाणित किया है तो सही प्रमाणित किया है, नाराणसिह के विरासत में उनके भाईयो को हिस्सा पाने का अधिकार नहीं है।अपील पत्र अपीलान्ट्स का खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः अपील नामान्तरण संख्या 129 प्रथम ग्राम देवरिया ग्राम पंचायत शादी द्वारा निर्णित . निर्णय दिनांक 21.01.2019 सही होने से अपील अपीलान्ट्स की एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 29.08.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
बेगूँ जिला चितौडगढ़